कार्यालय निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड, पशुधन भवन, मोथरोवाला–देहरादून।

संख्या 2782/ नि.–5/एक(20)/ESVHD/2024–25, दिनांक 10 सितम्बर, 2024.

सेवा में ,

आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

विषयः– पशु चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना एवं सृदुढ़ीकरण (ESVHD-MUV) (90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) योजना के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–237738/XV-1/23–1(5)/2018/51896 दिनांक 05 सितम्बर, 2024 (Allotment ID Dt 09-09-2024) द्वारा पशु चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना एवं सृदुढ़ीकरण (ESVHD-MUV) (90 प्र.के.स.) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में भारत सरकार के पत्र संख्या–K-11053(5317)/5/2021–LH(E-20008) दिनांक 16 अगस्त, 2024 से अवमुक्त कुल केन्द्रांश ₹ 256.06 लाख (₹ 179.25 लाख सामान्य पक्ष, ₹ 51.21 लाख स्पेशल पक्ष तथा ₹ 25.60 लाख ट्रायबल पक्ष) के सापेक्ष राज्यांश ₹ 28.45 लाख (₹ 19.92 लाख सामान्य पक्ष, ₹ 5.69 लाख स्पेशल पक्ष तथा ₹ 2.84 लाख ट्रायबल पक्ष) सहित कुल ₹ 284.51 लाख की धनराशि निम्नानुसार अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के साथ इस कार्यालय को अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि को निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन में प्रदिष्ट किया जा रहा है:–

(धनराशि लाख ₹ में)

अनु. संख्या	लेखशीर्षक	योजना का नाम	बजट की मांग (लाख ₹ में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
28	2403-00-101-01-09 2403-00-101-95-09	पशु चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना एवं सृदुढ़ीकरण /एम.वी.यू.का संचालन–90प्र.के.स./10 प्र.रा.स. 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	179.25	19.92	199.17
30	2403-00-101-01-16 2403-00-101-95-16	पशु चिकित्सालय/ औषधालय की स्थापना एवं सृदुढ़ीकरण /एम.वी.यू.का संचालन–90प्र.के.स./10 प्र.रा.स. 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	51.21	5.69	56.90
31	2403-00-101-01-10 2403-00-101-95-10	पशु चिकित्सालय/ औषधालय की स्थापना एवं सृदुढ़ीकरण /एम.वी.यू.का संचालन–90प्र.के.स./10 प्र.रा.स. 14–केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का एसएनए में अन्तरण	25.60	2.84	28.44
		योग–	**256.06**	**28.45**	**284.51**

(1) भारत सरकार के F No-1(13)/PFMS/2020 दिनांक 16 फरवरी, 2023 द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश को राज्यांश सहित 30 दिन से पूर्व एसएनए खाते में स्थानान्तरित करना सुनिश्चित करें।

(2) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह की 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर सूचना वित्त विभाग को प्रेषित करने हेतु बी.एम.–4 पर सूचना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए और न अधिक व्ययभार सृजित किया जाए।

(5) वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाये और तदनुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्रावधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जाये।

(6) प्रशासनिक/बजट नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में बजट प्राविधान, अवमुक्त धनराशि तथा व्यय धनराशि का नियमित लेखा जोखा रखा जाय एवं मासिक आधार पर इसका महालेखाकार, उत्तराखण्ड के स्तर पर मिलान करते हुए मिलान का प्रमाणित विवरण वित्त अनुभाग–1, बजट निदेशालय तथा पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(7) स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के संबंध में किसी भी प्रकार की अनियमितता, दुरूपयोग, दोहरीकरण (Doubling) एवं वित्तीय नियमों का उल्लघन पाये जाने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी पूर्णतः उत्तरदायी होगें।

(8) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग भारत सरकार को प्रेषित कार्य योजना के अनुसार ही किया जाय तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(9) योजनान्तर्गत सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चत किया जाना आवश्यक है।

योजनान्तर्गत सामग्री की आपूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाईड लाईन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।कैशलैश प्रणाली को पूर्ण रूप से प्रचलन में लाया जाय। योजनान्तर्गत Cash & Kind के रूप में लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों का Digitized Data-base लाभार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर एवं बैंक खाता आदि सहित अवश्य तैयार किया जाय, ताकि DBT Uttarakhand पोर्टल में लाभार्थियों का Digitized Data-base अपलोड किया जा सके तथा भारत सरकार के पत्र संख्या–25–1(2)/2016–AHD (Coord) दिनांक 09–12–16 के अनुसार लाभार्थियों की टैगिंग पंचायती राज मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिक कोड से अवश्य करवाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में अनुदान संख्या–28, 30 एवं 31 के आय–व्ययक के आधार पर संलग्न एलाटमेंट आई.डी. में अंकित लेखाशीर्षक एवं मानक मदों के अंतर्गत वहन किया जायेगा।

संलग्न–उक्तानुसार।

भवदीय,

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।

संख्या2782/नि.–5/एक(20)/ESVHD/2024–25, दिनांकित–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. मुख्य कोषाधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइवर कोषागार, देहरादून।
2. लेखा शाखा/पशुधन शाखा/संख्या शाखा/क्रय प्रकोष्ठ मुख्यालय।
3. पशु चिकित्साधिकारी ग्रेड–1, एमआईएस, मुख्यालय को विभागीय बैवसाईड में अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक, रोग नियंत्रण, मुख्यालय।
5. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, पशुपालन अनुभाग–1, सचिवालय–देहरादून।
6. महालेखाकार ,उत्तराखण्ड,देहरादून ।
7. गार्ड फाइल।

Tomar

(शुभम तोमर)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
कृते–निदेशक।